

नोटिस

Subject: Extension of lifting period of Special Forward E-Auction for Power Producers(Excluding CPPs) Phase-I for the year 2017-18(6 monthly auction from May'17 to Oct'17).

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए पावर प्रोड्यूसर्स (सीपीपी को छोड़कर) चरण -1 के लिए विशेष अग्रोषण ई-नीलामी की अवधि बढ़ाने का विस्तार (मई'17 से अक्टूबर 17 तक 6 मासिक नीलामी।

With reference to our earlier notice no:-MCL/S&M/Special FWD E-auction/17-18/Phase-I/131 dtd 15.04.17 regarding Special Forward E-auction for Power Producers(excluding CPPs) for 17-18-Phase I having validity period of lifting for 6(six) months i.e **Apr'17 to Sep'17** has been revised from **May 17 to Oct'17**. Other terms and condition will remain same as notice earlier.

This is issued as per approval of the competent authority.

17-18-के लिए बिजली उत्पादकों (सीपीपी को छोड़कर) के लिए विशेष अग्रोषण ई-नीलामी के संबंध में हमारे पहले नोटिस नंबर: एमएमसी / एस एंड एम / विशेष एफडब्ल्यूडी ई-नीलामी / 17-18 / चरण - 1 / 131 दिनांक 15.04.17 के संदर्भ में, चरण 6 मई (छह) महीने यानी अप्रैल 17-17 सितंबर के लिए उठाने की वैधता अवधि 17 मई से अक्टूबर 17 तक संशोधित की गई है। अन्य नियम और शर्त पहले के नोटिस के समान ही रहेगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार जारी किया गया है।

विभागाध्यक्ष (विपणन और विक्रय)

प्रतिलिपि:

- (i) निदेशक(तकनीकी), एमसीएल .
- (ii) तकनीकी सचिव सी एम डी, एमसीएल.
- (iii) महाप्रबंधक (विपणन और विक्रय), सीआईएल- जानकारी के लिए
- (iv) महाप्रबंधक (प्रणाली) – वेबसाइटों पर अपलोड के लिए
- (v) मुख्य प्रबंधक (एम.एंड.एस / ओ.पी) / मुख्य प्रबंधक (एम.एंड.एस / वाणिज्य)
- (vi) वरिष्ठ प्रबंधक (एम.एंड.एस / आर एस), एमसीएल.